न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया।

आदेश

वाद सं0 एम0 06/2016 दिनांक 27/05/2016

धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत।

प्रथम पक्ष– चन्द्रशेखर सिंह पिता स्व0 जगदीश सिंह।

बनाम

द्वितीय पक्ष– ढ़ेमन उर्फ प्रकाश ठाकुर बगैरह।

वाद की कार्यवाही आवेदक श्री चन्द्रशेखर सिंह पिता स्व0 जगदीश सिंह ग्राम पोकटा थाना बसिया जिला गुमला के द्वारा न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया में अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन दाखिल कि गया जिसमें प्रतिवेदित किया गया है मेरे जमीन मौजा पोकटा खाता सं0 01 प्लॉट सं0 1124 एकबा 7 एकड में द्वितीय पक्ष (1) ढेमन उर्फ प्रकाश ठाकुर (2) गीता देवी पति श्री ढेमन उर्फ प्रकाश ठाकुर थाना बसिया जिला गुमला के द्वारा जबरदस्ती एक मकान बनाना शुरू कर दिये है, मना करने पर प्रतिवादी मारने पिटने एवं जान से मारने की धमकी देते है। जिसको लेकर उभय पक्षों के द्वारा शांति भग होने की संभावना उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही अंचल अधिकारी, बसिया एवं थाना बसिया से विवादित भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्राचार किया गया जो प्राप्त है।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है जो निम्न प्रकार है।

प्रथम पक्ष के प्राधिकृत अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि प्रथम पक्ष के मौजा पोकटा, थाना नं0 112 खाता सं0 1 प्लॉट सं0 1124 रकबा 7 एकड़ जमीन मेरे परिवार द्वारा धारित खतियान भूमि है जिसमें से 0.05 डी0 में विवाद है। यह कि उपरोक्त जमीन मेरा परिवार शान्ति पूर्वक जोत आबाद करते है। द्वितीय पक्ष के सदस्य बिना हक सरोकार के उक्त भूखण्ड में सरकारी आवास योजना निर्माण कार्य कर रहे है। उक्त आवास निर्माण कार्य करने से मना किया तो द्वितीय पक्ष नहीं माने एवं मकान बना रहे है। प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कागजात न्यायालय में दाखिल नहीं किये है।

द्वितीय पक्ष के प्रधिकृत अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष लिखित रूप से दाखिल किये है कि खाता सं0 1 प्लॉट सं0 1124 रकबा 7 एकड़ जमीन में घर बनाने सम्बंधी प्रथम पक्ष के द्वारा लाया गया विवाद गलत है। मेरे द्वारा जिस जगह में इंदिरा आवास बनाया रहा हूँ वहॉ मैं पीछले 40 वर्षों से रहते आ रहा हूँ। जहॉ मेरा मकान बन रहा है वह भूमि गैरमजुरवा है वहॉ करीब 10 से 15 मकान बना हूआ है। जहॉ मकान बनाया रहा हूँ उसका खाता सं0 120 प्लॉट सं0 391 रकबा 0.3 एकड़ है।

द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner

अंचल अधिकारी, बसिया का उक्त विवादित भूमि के संबध में जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त है।

थाना प्रभारी बसिया के पत्रांक DR 1397/2016 के द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में अद्यतन /जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें आवेदक चन्द्रशेखर सिंह पे0 स्व0 जगदीश सिंह सा0 पोकटा थाना बसिया के द्वारा थाना बसिया के मौजा पोकटा खाता सं0 01 प्लॉट सं0 1124 रकबा 7 एकड़ भूमि में घर बनाने के संबंध में उक्त मौजा में जा कर जॉच किया गया भूमि संबंधी कागजात प्रस्तुत करने को कहने पर कागजात प्रस्तुत करने में असमर्थता जतायी तथा जॉच के कम में अगल बगल पूछ ताछ किये तो पता चला कि विवादित भूमि गैर मजरूआ है।

उभय पक्षो के अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल जवाब एवं थाना प्रभारी बसिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि गैर मजरूआ है। अंचल अधिकारी बसिया जाँच कर अतिक्रमणवाद की कार्यवाही प्रारंभ करें।

अतः वाद की कार्रवाई बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

6/8/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)

Scanned by CamScanner